प्रेस विज्ञप्ति
23.10.2026

ईडी के कब्जे में स्थित "पुष्ट कुर्क संपत्तियों" में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करते हुए, ईडी के मुंबई आंचलिक कार्यालय–I ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ठाणे (पश्चिम) स्थित एक फ्लैट का कब्जा पुनः प्राप्त करने के बाद दिनांक 15.10.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई है।

उक्त संपत्ति को आरोपी इकबाल कासकर एवं अन्य द्वारा जबरन वसूली से संबंधित एक मामले में धन शोधन की जाँच के दौरान दिनांक 08.04.2022 के अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 07/2022 के माध्यम से अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। तत्पश्चात, उक्त अनंतिम कुर्की की पुष्टि निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पीएमएलए की धारा 8(3) के अंतर्गत दिनांक 29.09.2022 के आदेश के माध्यम से की गई थी। इसके अतिरिक्त, ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 8(4) के अंतर्गत दिनांक 17.12.2024 को उक्त संपत्ति का कब्जा भी ले लिया गया था।

ईडी की जाँच ठाणे के कासारवडवली पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ इकबाल इब्राहिम कासकर, मुमताज एज़ाज़ शेख @ राजू, इसरार अली जमील सैयद और अन्य के विरुद्ध जबरन वसूली के आरोप लगाए गए थे। जाँच के दौरान पता चला कि धमकियों और जबरन वसूली के माध्यम से फ्लैटों को आरोपियों के पक्ष में अथवा उनके कहने पर पंजीकृत कराने की माँग की गई थी। इसी संदर्भ में, फ्लैट संख्या 405 को पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 6443/2015, दिनांक 29.05.2015 के माध्यम से मुमताज एज़ाज़ शेख @ राजू के नाम पर पंजीकृत किया गया था।

यह जानकारी सामने आई कि कुछ व्यक्तियों ने उक्त संपत्ति में प्रवेश किया था और कथित रूप से फ्लैट के ताले के साथ छेड़छाड़ करने के साथ–साथ कब्जे संबंधी नोटिस भी हटा दिया था तथा उक्त संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किया था। इसके बाद, ईडी ने निरीक्षण एवं पूछताछ की और कुर्क संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस मामले को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय ने ईडी को आवश्यक होने पर पुलिस की सहायता से संपत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त करने का निर्देश दिया।

उक्त निर्देश के अनुपालन में तथा संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस कर्मियों और गवाहों की उपस्थिति में फ्लैट का ताला बदला गया और उसका कब्जा पुनः प्राप्त किया गया। परिसर पर एक नया नोटिस भी चिपकाया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि कोई भी व्यथित व्यक्ति या तो ईडी के कार्यालय से संपर्क कर सकता है अथवा उस

माननीय न्यायालय का रुख कर सकता है जहाँ मामले का विचारण चल रहा है। इसके अतिरिक्त, कुर्क संपत्ति में कथित अनधिकृत प्रवेश और हस्तक्षेप के संबंध में, मामले की जाँच सुनिश्चित करने तथा ऐसे अनधिकृत प्रवेश करने वालों को कानून के अनुसार दंडित किए जाने के उद्देश्य से, ठाणे के कासारवडवली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 329(4) और 223 के अंतर्गत दिनांक 15.10.2026 को एफआईआर संख्या 662/2026 दर्ज की गई है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।